बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2020- 720 /वि०स० । दिनांक - 1/6/2020

प्रिय .....

षोडश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 24 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ हुआ और कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी "COVID-19" के कारण दिनांक 16 मार्च, 2020 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । पंचदश सत्र में कुल ग्यारह (11) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि यह एक तबील इजलास है और इसमें 22 नशिस्तें यानी बैठकें होंगी । महामहिम गवर्नर साहब के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज पर मशाविरत होगी । फिर माली साल 2020-21 का बजट पेश किया जायेगा और मुख़्तलिफ महमकों के मुतालबात पर बहस होगी जिसमें उनके इल्तजामात पर तफ़्सील से गौरोख़ौज करने के मौके आपकों फराहम होंगे । कानूनसाज़ी के सरकारी काम के अलावा आप अराकीन के प्राइवेट अहद यानी गैर सरकारी संकल्प भी लिए जाएंगे ।

मुअज्जज अराकीन, जम्हूरियत में आवाम ही इक्तिदारे आला होती है और आवाम अपने इस इख्तियार और ताकत का इस्तेमाल अपने नुमाइंदों के जरिए से करती है । हम सभी खुशनसीब हैं कि आवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब कर हमें इस ऐवान तक पहुँचाया है । जाहिरी तौर पर, आवाम की उम्मीद होती है कि हम उनके फलाहो बहबूद के लिए कानूनसाजी करें और उनके मफाद में मंसूबों की अमल-अवारी करें ।

इस ऐवान का हर रूक्न, चाहे वह हिज्बे इक्तिदार का हो या हिज्बे मुख्तालिफ से हो- उसका मकसद और निशाना एक ही होता है और वह होता है, सूबे की आवाम की तरक्की और कौमी मफाद । यह इजलास इस लिहाज से खास है कि बिहार कानूनसाजिया के इस इमारत, जिसमें हम-आप सभी बैठे हैं, इसकी तामीर के सौ साल पूरे हो चुके हैं । 1920 में तामीरशुदा इस ऐवान की दरो दीवार, गुजिश्ता सौ सालों में बेशुमार तारीख़ी और यादगार लम्हों का गवाह रही है । इसने कानूनसाजी के ऐसे-ऐसे मुकाम देखे हैं जो न सिर्फ सूबे में समाजी तौर पर इन्किलाबी साबित हुए हैं, बल्कि मुख़्तलिफ शोबों में तो पूरे मुल्क की रहनुमाई की है । दूसरी तरफ, आप वाकिफ हैं कि जंगे आजादी के दरम्यान हुए जलियांवाला बाग के अलमनाक वाकये के भी सौ साल पूरे हुए हैं । इसने पूरे मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के मुख़ालफत के जज्बे में उबाल पैदा कर दी थी । इस खातिर, आज ही 4.00 बजे अपराह्न में यानी दोपहर बाद सेन्ट्रल हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें आप सब के शिरकत के हम मुतमन्नी हैं ।

मोहतरम मेम्बरान, मौजूदा पाँच साला असेम्बली के मियाद के आखिरी साल में हम दाखिल हो चुके हैं । इमकान है कि एक और इजलास होगा । हमारे आइनसाजों ने इस ऐवान को बाहमी मशविरे के मरकज के रूप में मुन्ज्जम किया है । वाजेह है कि हम जितनी ही संजीदगी से मशविरा और बहस-मुबाहिसा करेंगे उतना ही पुरअसर आवामी मफाद के नतीजे आएंगे । इस सूरत में, इस मुकद्दस एंवान की वकार-ओ-रिवायात बरकरार रखने के साथ इसमें आवाम का एमताद मुश्तकिल रखने की ख़ातिर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इजलास की कार्रवाई, पुरअम्न चलाने में आप सभी अराकीन का ताऊन मुसल्सल मिलता रहेगा ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2020 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री फागू चौहान द्वारा एक साथ समवेत् बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सम्बोधित किया गया । डॉ० रंजु गीता, माननीय सदस्या, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 25 एवं 26 फरवरी, 2020 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 24 फरवरी, 2020 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राष्ट्रपति/ महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

1. औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

1. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019
2. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019
3. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019
4. बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019
5. बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018

वित्तीय कार्य

दिनांक 25 फरवरी, 2020 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2020-2021 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर "कोविड-19" के कारण सिर्फ 04 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग ध्वनि मत से पारित हुआ एवं दिनांक 16 मार्च, 2020 को शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ तथा तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 पारित हुआ ।

दिनांक 27 फरवरी, 2020 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 02 मार्च, 2020 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2020 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105(2) तथा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012 के नियम-5 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग का वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा- 146(2) के तहत "बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2019" तथा "बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान मंडल के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो'' ।
5. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के क्रमशः वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तक का वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का वर्ष 1985-86 से वर्ष 2005-06 तक के वार्षिक पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2020
2. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020
3. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

याचिका

इस सत्र में कुल 109 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 86 स्वीकृत हुए तथा 23 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 254 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 252 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 3826 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 2934 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 54 अल्पसूचित, 2782 तारांकित एवं 98 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 137 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 479 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 189 उत्तर संलग्न प्रश्न प्राप्त हुये तथा 23 प्रश्न अपृष्ठ हुए । 2106 प्रश्न अनागत हुए तथा 840 प्रश्नो के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 150 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 19 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 24 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 107 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुये ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

दिनांक 16 मार्च, 2020 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के अलोक में दिनांक 27 एवं 31 मार्च, 2020 के लिए सभी स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प बिहार विधान सभा की गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के अनुश्रवण हेतु भेज दिये गये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय प्रो० डॉ० अब्दुल गफूर, स०वि०स०
2. स्वर्गीय नन्द लाल चौधरी, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय राम लखन महतो, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो, सांसद
5. स्वर्गीय डॉ० सियाराम राय, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय मोती लाल सिन्हा "कानन", पूर्व स०वि०स०

दिनांक 16 मार्च, 2020 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

22/05/2020

(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

.....

.....

.....